

न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 43/2024
जीसीएमएस नं. : 2024/116

प्रार्थी :-

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी,
जिला रसद कार्यालय, बांसवाड़ा

बनाम

अप्रार्थी :-

श्री नरेन्द्र कुमार कलाल / मगनलाल कलाल,
प्रोपराईटर उत्तम टी हाउस, आकाशवाणी के सामने,
ठिकरीया, जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)

उपस्थित

-विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :- 21-03-2025

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग / अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध दिनांक 07.10.2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत दिनांक 08.11.2024 को ठिकरीया में स्थित उत्तम टी हाउस की जांच उसके प्रोपराईटर श्री नरेन्द्र कुमार कलाल की उपस्थिति में श्री मणि खिंची प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनिल कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 1 घरेलू सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. स.	नाम ऑयल कम्पनी	सिलेण्डर का एस. आर. नम्बर	कुल वजन किग्रा. में	खाली सिलेण्डर वजन	गैस का वजन
1	एच.पी. गैस	7331255	21.700	16.000	5.700

श्री नरेन्द्र कुमार कलाल द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 01 घरेलू सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग



जिला कलक्टर
जिला बांसवाड़ा (राज.)

हेतु अवैध भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लंघन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 01 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर शहीद रामचन्द्र गैस एजेन्सी, बांसवाडा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री जीतमल/ शंकरलाल को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 18.12.2024 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा। दिनांक 09.01.2025, 05.02.2025 को अनुपस्थित रहे। दिनांक 28.02.2025 को भी अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी का जवाब बंद किया गया। आज दिनांक 21.03.2024 को अप्रार्थी स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

विभागीय प्रतिनिधि की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 08.11.2024 को ठिकरीया मे स्थित उत्तम टी हाउस की जांच उसके प्रोपराईटर श्री नरेन्द्र कुमार कलाल की उपस्थिति में श्री मणि खिंची प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनिल कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 1 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। श्री नरेन्द्र कुमार कलाल द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डर के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 01 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु अवैध भण्डारण करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लंघन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 01 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर शहीद रामचन्द्र गैस एजेन्सी, बांसवाडा के अधिकृत प्रतिनिधि श्री जीतमल/ शंकरलाल को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।




जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से उपरोक्तानुसार व्यवसायिक स्थान पर 01 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग एवं भण्डारण करना पाया गया है। पत्रावली के संलग्न फर्द मौका एवं जब्ती पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक फर्म पर घरेलु गैस का उपयोग किया जाना व भंडारण किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 21-03-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डॉ. इंद्रजीत यादव)
जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा (राज.)
बांसवाड़ा (राज.)